

बोर्ड स्तरीय समितियां

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
1	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	कार्यकारी निदेशक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे गैर-कार्यकारी निदेशक - श्री केतन विकमसी (समिति के अध्यक्ष) - श्री बी वेणुगोपाल - श्री संजीव माहेश्वरी - डॉ गणेश नटराजन - श्री मृगंक परांजपे	आमंत्रित: प्रबंध निदेशक- रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ भारत सरकार नामित निदेशक आरबीआई नामित निदेशक सभी उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी उप मुख्य वित्त अधिकारी-बैंक की तिमाही/ वार्षिक परिणामों से संबंधित बैठकों के लिए कोरम: 3 सदस्य (बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे) संयोजक: महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड
2	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)	कार्यकारी निदेशक - प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार - प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह गैर-कार्यकारी निदेशक - श्री मृगंक परांजपे (समिति के अध्यक्ष) - डॉ पुष्पेंद्र राय - श्री बी वेणुगोपाल - श्री संजीव माहेश्वरी - श्री केतन विकमसी (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार तथा प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय	आमंत्रित : प्रबंध निदेशक- रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी उप प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक-एएसएफ, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- विश्व बाजार, उप प्रबंध निदेशक- कार्यनीति एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी, उप प्रबंध

बोर्ड स्तरीय समितियां

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
		बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो आमंत्रित हैं, उस बैठक के लिए वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)	निदेशक-तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-रिटेल बैंकिंग और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम : 3 गैर-कार्यकारी निदेशक (बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन I)
3	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)	कार्यकारी निदेशक 1. प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह 2. प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ गैर-कार्यकारी निदेशक 1. डॉ गणेश नटराजन (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ पुष्पेंद्र राय 3. श्री बी वेणुगोपाल 4. श्री मृगंक परांजपे (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग तथा प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार, जो आमंत्रित हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)	आमंत्रित: प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग, प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी उप प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक- एएसएफ, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (कार्यनीति) एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (कार्यकारी सहायता प्रणाली)

बोर्ड स्तरीय समितियाँ

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
4	बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	कार्यकारी निदेशक 1. प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग 2. प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह गैर-कार्यकारी निदेशक <u>गैर-एससीबी सदस्य:</u> 1. डॉ पुष्पेंद्र राय (समिति के अध्यक्ष) <u>एससीबी के सदस्य:</u> 1. श्री संजीव माहेश्वरी 2. श्री केतन विकमसी [किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार तथा प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगिया, जो आमंत्रित हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे]	आमंत्रित : प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार तथा प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक-वाणिज्यिक ग्राहक समूह (2), उप प्रबंध निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- वाणिज्यिक ग्राहक समूह (1), उप प्रबंध निदेशक-तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक रिटेल बैंकिंग, उप प्रबंध निदेशक- एसएफ, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक - एक एससीबी से तथा एक गैर-एससीबी से) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन II)
5	हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)	कार्यकारी निदेशक 1. प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग 2. प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह गैर-कार्यकारी निदेशक 1. डॉ पुष्पेंद्र राय (समिति के अध्यक्ष) 2. श्री बी वेणुगोपाल 3. श्री संजीव माहेश्वरी	आमंत्रित : प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार तथा प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-रिटेल बैंकिंग, उप प्रबंध निदेशक-एसएफ, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक

बोर्ड स्तरीय समितियां

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
		4. डॉ गणेश नटराजन, 5. श्री केतन विकमसी (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार तथा प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगिया, जो कि आमंत्रित हैं, उस बैठक के लिए वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे	कार्यनीति एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक मानव संसाधन एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी, आंतरिक लोकपाल और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (वित्तीय नियंत्रण)/मुख्य महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा)
6	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	कार्यकारी निदेशक सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यकारी निदेशक समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे गैर-कार्यकारी निदेशक 1. श्री बी वेणुगोपाल (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ पुष्पेंद्र रॉय 3. डॉ गणेश नटराजन 4. श्री मृगंक परांजपे	आमंत्रित : उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त कोरम : (कम से कम 3 गैर-कार्यकारी निदेशक, जिनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक एवं कम से कम एक सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) से होगा) संयोजक : महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड
7	वसूली निगरानी की बोर्ड समिति (बीसीएमआर)	कार्यकारी निदेशक 1. अध्यक्ष 2. प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग 3. प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार 4. प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, 5. प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ	आमंत्रित : उप प्रबंध निदेशक-तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक-वाणिज्यिक ग्राहक समूह (2), उप प्रबंध निदेशक कार्यनीति एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट लेखा समूह, उप प्रबंध निदेशक-वाणिज्यिक ग्राहक समूह (1), उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-रिटेल बैंकिंग, उप प्रबंध निदेशक- एसएफ, और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड

बोर्ड स्तरीय समितियां

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
		गैर-कार्यकारी निदेशक 1. भारत सरकार के नामिती निदेशक 2. डॉ पुष्पेंद्र राय 3. श्री संजीव माहेश्वरी 4. श्री केतन विकमसी 5. श्री मृगांक परांजपे	कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)
8	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)	कार्यकारी निदेशक 1. प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गैर-कार्यकारी निदेशक 1. डॉ पुष्पेंद्र राय 2. डॉ गणेश नटराजन 3. श्री केतन विकमसी 4. श्री मृगांक परांजपे (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह एवं प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ, जो कि आमंत्रित हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)	आमंत्रित : प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक (कार्यनीति) एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक - एसएफ और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम: 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक) संयोजक: उप महाप्रबंधक (सीएसआर)
9	इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा करने की समिति	कार्यकारी निदेशक प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह समिति के अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक 1. श्री बी. वेणुगोपाल 2. श्री संजीव माहेश्वरी 3. डॉ गणेश नटराजन 4. श्री केतन विकमसी	आमंत्रित : : कोई नहीं कोरम: 3 (कम से कम 2 गैर कार्यकारी निदेशक) संयोजक: मुख्य महाप्रबंधक (तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

बोर्ड स्तरीय समितियां

(08.12.2021 से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रित/कोरम/संयोजक
		(प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे)	

10. केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति:

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति का गठन भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 46 द्वारा निर्देशित है। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति में एसबीआई अधिनियम की धारा 19 के खंड एफ के तहत नामित अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक, और सभी या अन्य निदेशक में से कोई जो सामान्य रूप से भारत के निवासी हैं, या कुछ समय के लिए, भारत के भीतर किसी भी स्थान पर उपस्थित हो जहां बैठक आयोजित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, 'बैंकों में कॉरपोरेट शासन-निदेशकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की समितियों का गठन' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 26 अप्रैल 2021 के दिशानिर्देश में कहा गया है कि:

"बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष बोर्ड की ऐसी किसी भी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, जिसके पास ऋण प्रस्तावों की संस्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो"

तदनुसार, एसीबी के अध्यक्ष ईसीसीबी का हिस्सा नहीं होंगे।

टिप्पणी:

वर्तमान में निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं:

- | | |
|--|------------------------------|
| • अध्यक्ष | श्री दिनेश कुमार खारा |
| • प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) | श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी |
| • प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं वैश्विक बाजार) | श्री अश्वनी भाटिया |
| • प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआआरजी) | श्री स्वामीनाथन जानकीरामन |
| • प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां) | श्री अश्विनी कुमार तिवारी |

भारत सरकार के वर्तमान नामिती निदेशक श्री देबाशीष पांडा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक श्री अनिल कुमार शर्मा हैं।

समितियों का कार्यकाल/अवधि सतत होती है और यह उसके अगले गठन तक वैध होती है।

===XX===